

फर्द अहकाम

आशा देवी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार

376/25

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
05.2025	<p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी किये जाने हेतु का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम गोनेर, पटवार हल्का गोनेर, भू.अभि.नि. क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बरान 2151, 2152, 2154, 2156, 2158, 2218, 2219, 2220, 2221, 3169, 3170/3668 कुल किता 11 कुल रकवा 2.71 है0 में से खसरा नम्बरान 2152, 2154, 2148/1 का सीमाज्ञान तहसीलदार सांगानेर के आदेश क्रमांक:2025/19602/31 व 32 की पालना में दिनांक 15.05.2025 को उपस्थित खातेदारो के समक्ष मुस्तकील मुकाम खसरा नम्बर 2149 किश्म गै.मु. चाह से जरीब चलाकर सीमांकन की जानकारी दी व सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया।</p> <p>बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.05.2025 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इस बाबत् भविष्य में पडौसी काश्तकारो में किसी प्रकार की प्रकार विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान करवाया जाना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है।</p> <p>प्रार्थी ने प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके वाके ग्राम गोनेर, पटवार हल्का गोनेर, भू.अभि.नि. क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बरान 2152, ²²¹⁹2154, 2148/1 का सीमाज्ञान फर्द मौका-रिपोर्ट आदेश दिनांक 15.05.2025 के अनुसार उभयपक्षो की उपस्थिति में पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)